SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

Azadi Ka Amrit Mahotsav

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं.22/2022-23 **10 फरवरी, 2023**

विषय: चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियमनों से संबंधित सूचना - बाबत

संदर्भ : परिपत्र संख्या 13/2021 दिनांक 22-10-2021
परिपत्र संख्या 16/2021 दिनांक 29-11-2022
परिपत्र संख्या 08/2022-23 दिनांक 25-07-2022
परिपत्र संख्या 16/2022-23 दिनांक 06-10-2022
परिपत्र संख्या 20/2022-23 दिनांक 15-12-2022

चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियमनों से संबंधित उपरोक्त परिपत्रों के क्रम में, बेजिंग के भारतीय राजदूतावास ने सूचित किया है कि मसालों, जो प्लांट सीसणिंग्स (मसाले) की श्रेणी में आते हैं और जिनकी डी ए पी क्यु (बिना पीसे मसाले) के जरिए पंजीकरण आवश्यक है, केलिए सी आई एफ ई आर के जरिए आवेदन पहले प्रस्तुत किया गया था, की स्थिति अब सी आई एफ ई आर प्रणाली में अद्यतन नहीं की जाएगी। यह भी सूचित किया गया है कि ऐसे मामलों (बिना पीसे मसाले) में, उद्यम http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/qtzwcp/4643123/index.html लिंक के माध्यम से पशु एवं पादप संगरोध विभाग, जीएसीसी की वेबसाइट में स्थिति की जांच कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि चूंकि बिना पिसे मसाले सीआईएफईआर में पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए जब आयातक बिना पिसे मसालों के लिए सीमा शुल्क घोषणा के लिए आवेदन करते हैं तो सीआईएफईआर प्रणाली में पंजीकरण की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त लिंक के माध्यम से पंजीकरण विवरण को पशु एवं पादप संगरोध विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निर्यात के लिए अनुमोदित उत्पादों के नाम चीनी में दिए गए हैं और इसलिए निर्यातक चीनी आयातकों से पुष्टि कर सकते हैं कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद पहले से ही पंजीकृत सूची में हैं।

सीआईएफईआर प्रणाली के संबंध में, यह सूचित किया गया है कि जीएसीसी के खाद्य सुरक्षा ब्यूरो द्वारा किए गए परिवर्तन स्वचालित रूप से सीआईएफईआर प्रणाली में अपडेट हो जाएंगे और उद्यमों को स्वयं अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है।

चीन को मसालों का निर्यात करने वाले सभी उद्यमों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा चीन को मसालों और मसालों के उत्पादों के निर्यात के संबंध में जारी पहले के परिपत्रों को भी देखा जा सकता है।

निदेशक (विपणन)

सेवा में
मसालों व मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फाईल सं.:विपणन-क्यूआर/0001/2020-विपणन - 18053 से जारी)

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com